जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित लाईम स्टोन खनन परियोजना, **मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं. TKB-11, प्रस्तावित क्षेत्र–112.8886 हेक्टेयर,** प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 598500 टीपीए, (आर.ओ.एम.) **जोरावरपूरा** एंव हरिपूरा, तहसील– **खिंवसर, जिला– नागौर** (राज.) मे स्थित है, में **लाईम स्टोन खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर, नागौर के प्रतिनिधि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील– खिंवसर, जिला नागौर** में दिनांक **03/06/2026 को सायं 04:00 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट** "अ" पर सलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"दैनिक भास्कर "** में दिनांक 26/04/2026 एवं **"द इंडियन एक्सप्रेस"** में दिनांक 25/04/2026 को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलक्टर नागौर की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विड़ियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज प्राईवेट लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स पी एंड एम सॉल्यूशन** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स पी एंड एम सॉल्यूशन** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **निकट गांव– जोरावरपूरा एंव हरिपूरा, तहसील– खिंवसर, जिला– नागौर**

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

(राज.) में खनिज– लाईम स्टोन खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका ब्लॉक नं. **TKB-11**, प्रस्तावित क्षेत्र–112.8886 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 598500 टीपीए, (आर.ओ.एम.) जोरावरपूरा एंव हरिपूरा, तहसील– खिंवसर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, में लाईम स्टोन खनन परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत करते हुए कहा कि ग्राम जोरावरपुरा एवं हरिपुरा के आसपास स्थित लगभग 112 हेक्टेयर क्षेत्रफल की लाइमस्टोन खनन परियोजना के संबंध में यह जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त खनन पट्टा सरकार द्वारा आवंटित किया गया है तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि का क्रय–विक्रय संबंधित परियोजना प्रस्तावक एवं भूमि स्वामियों के मध्य आपसी सहमति से निर्धारित शर्तों एवं दरों के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि परियोजना को संचालित किए जाने से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत परियोजना के संभावित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है तथा जनसुनवाई उसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस जनसुनवाई का उद्देश्य परियोजना से प्रभावित अथवा लाभान्वित होने वाले क्षेत्र के निवासियों के विचार, सुझाव, आक्षेप एवं आपत्तियां प्राप्त करना है। श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उपस्थित जनसमूह से अनुरोध किया कि वे परियोजना के संबंध में अपने विचार, सुझाव, शिकायतें अथवा आपत्तियां निःसंकोच प्रस्तुत करें। उन्होंने अवगत कराया कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सभी सुझाव एवं आपत्तियां विधिवत अभिलेखित की जाएंगी तथा कार्यवाही विवरण का हिस्सा बनेंगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेते समय जनसुनवाई के दौरान प्राप्त अभिमतों एवं सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।

श्री अण्दाराम, पूर्व सरपंच निवासी ग्राम **जोरावरपुरा** ने कहा कि क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत 8 छोटे–छोटे खनन ब्लॉकों में से हरिपुरा क्षेत्र के दो ब्लॉकों को नाम मात्र की अनापत्ति (NOC) के आधार पर स्वीकृत कर दिया गया तथा उनके रवन्ना जारी कर दिए गए, जबकि प्रभावित किसानों से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि किसानों से बिना पूछे इस प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान किया जाना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

किसानों एवं प्रशासन के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा कि जिन खनन पट्टों का उल्लेख किया जा रहा है, वे सरकारी भूमि पर स्थित हैं अथवा निजी भूमि पर। इस पर श्री अण्दाराम ने कहा कि संबंधित क्षेत्र की लगभग 50 प्रतिशत भूमि किसानों की निजी भूमि है तथा उनके अनुसार संबंधित किसानों की सहमति प्राप्त नहीं की गई है।

इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि वर्तमान जनसुनवाई लगभग 112 हेक्टेयर क्षेत्रफल की प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना को अंतिम स्वीकृतियां प्राप्त होने के उपरांत ही खनन पट्टा प्रभावी होगा तथा निजी भूमि पर खनन कार्य तभी संभव होगा जब संबंधित भूमि का क्रय अथवा अन्य वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

इस पर श्री अण्दाराम ने कहा कि लगभग एक वर्ष पूर्व उनकी परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि भूमि प्राप्त की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में वे न्यायालय गए थे तथा न्यायालय द्वारा जनसामान्य से वार्ता किए जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया था, किन्तु आज तक उनसे कोई वार्ता नहीं की गई है। इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उनके सुझाव एवं आपत्तियों को अभिलेखित किए जाने हेतु निर्देशित किया तथा कहा कि उनकी बात कार्यवाही विवरण में दर्ज की जा रही है। तत्पश्चात उन्होंने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को भी अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री रामपाल निवासी ग्राम डेहरू ने कहा कि यदि परियोजना के लिए अनापत्ति अथवा अन्य अनुमतियां तभी प्रदान की जानी हैं जब सभी प्रभावित किसान संतुष्ट हों तथा उनकी भूमि आपसी सहमति से प्राप्त की जाए, तो क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी किसान संतुष्ट होंगे।

इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि पर्यावरणीय स्वीकृति की एक पृथक वैधानिक प्रक्रिया है तथा यह जनसुनवाई उसी प्रक्रिया का एक भाग है। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अपनी भूमि परियोजना प्रस्तावक को उपलब्ध कराता है तथा भूमि परियोजना प्रस्तावक के अधिकार में आती है, तभी उस भूमि पर खनन गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं।

श्री रामपाल ने कहा कि भूमि संबंधी विषय एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दो पृथक विषय हैं। उन्होंने कहा कि वे वर्तमान में भूमि के मूल्य अथवा भूमि विक्रय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया पर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी नहीं है तथा परियोजना से संबंधित जानकारी पूर्व में उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के संबंध में कम से कम 5 से 10 दिन पूर्व गांव के लोगों को विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए थी तथा विभाग अथवा परियोजना की ओर से किसी प्रतिनिधि को गांव में भेजकर लोगों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए था। परियोजना से संबंधित दस्तावेजों में यह

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

दर्शाया गया है कि क्षेत्र में सीमित वनस्पति एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता है, जबकि उनके अनुसार क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में वृक्ष, झाड़ियां एवं अन्य वनस्पतियां विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना क्षेत्र से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा जलाशय स्थित है, जिससे केवल एक गांव ही नहीं बल्कि लगभग 10 गांवों के लोग पेयजल प्राप्त करते हैं तथा पशु–पक्षी एवं अन्य जीव–जंतु भी उस पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि यदि परियोजना संबंधी दस्तावेजों में ऐसे तथ्यों का समुचित उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह गंभीर विषय है। यदि परियोजना से संबंधित दिशा–निर्देश, ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेख पूर्व में उपलब्ध करवाए जाते तो ग्रामीण उनका अध्ययन कर अपनी राय बना सकते थे। उन्होंने पूछा कि उक्त दस्तावेज किसे उपलब्ध करवाए गए थे तथा ग्रामवासियों को उनकी प्रतियां कब उपलब्ध करवाई गईं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों की जानकारी ग्रामीणों को समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई।

इस पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि संबंधित दस्तावेज उन्हें पूर्व में उपलब्ध नहीं करवाए गए थे तथा कुछ दस्तावेज मांग करने पर आज ही प्राप्त हुए हैं। श्री रामपाल ने कहा कि कोई न कोई निर्धारित प्रक्रिया अवश्य होगी तथा ऐसा नहीं होना चाहिए कि महत्वपूर्ण दस्तावेज जनसुनवाई से ठीक पूर्व अथवा अल्प समय पहले उपलब्ध करवाए जाएं।

तत्पश्चात् **श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय** ने क्षेत्रीय अधिकारी से उक्त विषय पर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा। इस दौरान श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को अवगत कराया गया कि जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर उपस्थिति पत्रक पर लिए जाते हैं तथा इच्छुक व्यक्ति उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इस पर कुछ ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि वे उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि उपस्थित व्यक्तियों को प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराना प्रशासन का दायित्व है। इस दौरान कुछ ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया कि जनसुनवाई में कुछ ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जो स्थानीय निवासी नहीं हैं तथा उनकी उपस्थिति को लेकर आपत्ति व्यक्त की गई।

तत्पश्चात् **श्री अण्दाराम** ने कहा कि उनका परियोजना के प्रति विरोध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में खेजड़ी के वृक्ष विद्यमान हैं तथा स्थानीय लोगों की आजीविका कैर एवं सांगरी जैसे उत्पादों पर भी निर्भर है, जो खेजड़ी वृक्षों से प्राप्त होते हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि परियोजना के कारण इन वृक्षों को क्षति पहुंच सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनसुनवाई की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त परियोजना की ई.आई.ए. रिपोर्ट नियमानुसार लगभग एक माह पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवा दी गई थी तथा उसकी प्रति वहां अध्ययन हेतु उपलब्ध थी। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई की सूचना के संबंध में लगभग 3 दिन पूर्व ग्राम में विधिवत मुनादी भी करवाई गई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित अभिलेख ग्राम पंचायत को विधिवत प्रेषित किए गए थे तथा उनकी प्राप्ति की पुष्टि (Indian Post Receipt) भी उपलब्ध है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

श्री रामपाल निवासी ग्राम डेहरू ने कहा कि केवल ग्राम पंचायत अथवा सरपंच ही इस परियोजना से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि हजारों किसान, पशु–पक्षी, पेड़–पौधे तथा क्षेत्र के अन्य निवासी भी इससे प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई थी और वह वहीं तक सीमित रह गई, तो आम ग्रामीणों को इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती। उन्होंने कहा कि कम से कम चार–पांच दिन पूर्व गांव में व्यापक स्तर पर सूचना दी जानी चाहिए थी तथा प्रत्येक घर अथवा कम से कम पर्याप्त संख्या में ग्रामीणों को ई.आई.ए. रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थीं, जिससे वे उसका अध्ययन कर अपनी राय बना सकते।

इस पर **क्षेत्रीय अधिकारी** ने कहा कि जनसुनवाई के संबंध में लगभग तीन दिन पूर्व ग्राम में विधिवत मुनादी करवाई गई थी।

इस पर **श्री रामपाल** ने कहा कि उन्होंने पूर्व दिवस ग्राम विकास अधिकारी (VDO) से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाही थी। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें परियोजना से संबंधित कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इस पर श्री रामपाल ने कहा कि यदि ग्राम विकास अधिकारी के पास भी प्रति उपलब्ध नहीं थी, तो ग्राम पंचायत को प्रति उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में की जा रही बात पर प्रश्न उठता है।

इस पर **श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय** ने क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया कि इस संबंध में उपलब्ध प्राप्ति रसीद (Receipt) प्रस्तुत की जाए।

तत्पश्चात् **श्री अण्दाराम** ने कहा कि वर्तमान जनसुनवाई को निरस्त कर भविष्य में किसी अन्य तिथि पर पुनः आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि परियोजना प्रस्तावक व्यवस्थित ढंग से प्रक्रिया का पालन करे तो ग्रामीण विकास के विरोधी नहीं हैं, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में जनसुनवाई की प्रक्रिया उचित नहीं प्रतीत होती।

इसके उपरान्त **श्री रामपाल** ने कहा कि वे समस्त ग्रामीणों की ओर से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियां देश की प्रगति से जुड़ा विषय हैं तथा उन्हें खनन गतिविधियों से मूलतः आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग केवल यह है कि समस्त कार्य नियमानुसार किए जाएं तथा यदि कोई नियम जनहित के प्रतिकूल प्रतीत होता है तो उसे बदलने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इस पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। जनसुनवाई की प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में ही आवश्यक सूचनाओं का समुचित प्रसार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक ओर विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है कि दस्तावेज ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवा दिए गए थे, जबकि दूसरी ओर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध न होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कारण वे वर्तमान प्रक्रिया का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। यदि ग्रामीणों को परियोजना से संबंधित दस्तावेज एवं सूचनाएं पूर्व में उपलब्ध नहीं करवाई गईं, तो वे जनसुनवाई में सार्थक सुझाव अथवा आपत्तियां कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम चार–पांच दिन पूर्व अथवा उससे भी पहले परियोजना संबंधी दस्तावेज लिखित रूप में उपलब्ध करवाए जाने चाहिए थे, ताकि ग्रामीण उनका अध्ययन कर सकें तथा अपने सलाहकारों से चर्चा कर सकें। उन्होंने कहा कि बिना

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराए जनसुनवाई आयोजित करना उचित नहीं है। ग्रामवासियों की सामूहिक मांग है कि उन्हें कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए, ताकि वे परियोजना संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन कर सकें, अपने अधिवक्ताओं एवं अन्य सलाहकारों से चर्चा कर सकें तथा आपस में बैठक कर अपनी राय बना सकें। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य न तो खनन कार्य रोकना है और न ही पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को रोकना है, बल्कि वे चाहते हैं कि प्रक्रिया नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हो।

इसके उपरान्त श्री रामपाल ने उपस्थित ग्रामीणों से पूछा कि क्या जनसुनवाई को पुनः आयोजित किए जाने हेतु 10 दिन का समय पर्याप्त होगा। इस पर कुछ ग्रामीणों द्वारा एक माह का समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर श्री रामपाल ने कहा कि ग्रामीणों एवं सरपंच की ओर से एक माह का समय दिए जाने की मांग की जा रही है, ताकि परियोजना से संबंधित दस्तावेजों का समुचित अध्ययन किया जा सके। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक घर तक उपलब्ध करवाई जाएं।

इस पर **श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय** ने कहा कि श्री रामपाल, श्री अण्दाराम तथा अन्य ग्रामीणों द्वारा व्यक्त की गई सभी आपत्तियां, सुझाव एवं मांगें शब्दशः अभिलेखित की जा रही हैं तथा उन्हें सक्षम स्तर पर अवगत कराया जाएगा।

इस पर **श्री अण्दाराम** ने कहा कि उनके अनुसार इस विषय से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश विद्यमान हैं तथा यदि प्रभावित व्यक्तियों को समुचित सूचना नहीं दी जाती है अथवा उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, तो वे न्यायालय का पुनः दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि वे आज की कार्यवाही का संपूर्ण विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तथा वर्तमान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया का विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विगत लगभग एक वर्ष से संबंधित गतिविधियां ग्रामीणों की इच्छा के अनुरूप नहीं चल रही हैं तथा उन्होंने इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने क्षेत्रीय अधिकारी से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति आज की जनसुनवाई की कार्यवाही प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी।

इस पर **क्षेत्रीय अधिकारी** ने बताया कि जनसुनवाई की कार्यवाही, वीडियो रिकॉर्डिंग, छायाचित्र एवं कार्यवाही विवरण तैयार किए जाने के उपरान्त इच्छुक व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के माध्यम से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है तथा उपलब्ध अभिलेख नियमानुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे।

तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि श्री अण्दाराम एवं श्री रामपाल द्वारा अपनी बात रखी जा चुकी है तथा यदि कोई अन्य प्रभावित किसान अथवा ग्रामीण अपनी बात रखना चाहता हो तो वह अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

श्री रामचंद्र जाजड़ा, निवासी–ग्राम जोरावरपुरा ने कहा कि इस विषय में उनकी वही आपत्ति एवं भावना है जो पूर्व में श्री अण्दाराम द्वारा व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि वे इस कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं तथा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

खेती–बाड़ी से ही उनका जीवन–यापन होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पास आजीविका के अन्य साधन सीमित हैं तथा वे अपनी भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। इस कारण वे प्रस्तावित परियोजना के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं।

श्री नरसिंह राम, पूर्व सरपंच निवासी ग्राम डेहरू ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में कुछ भूमि सरकारी है तथा कुछ भूमि किसानों की है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं है, किन्तु परियोजना के संभावित प्रभावों पर विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों द्वारा अपनी भूमि नहीं भी दी जाती है तथा केवल आसपास की सरकारी भूमि पर खनन गतिविधियां संचालित होती हैं, तब भी खनन एवं ब्लास्टिंग गतिविधियों का प्रभाव आसपास के किसानों एवं उनके पशुओं पर पड़ेगा। उन्होंने प्रश्न उठाया कि ऐसी स्थिति में पशु चराई के लिए कहां जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी किसान के पास 10 बीघा कृषि भूमि है तथा उसने अपने खेत में वर्षाजल संग्रहण हेतु एक डिग्गी का निर्माण कर रखा है, जबकि उसके पास में स्थित लगभग 15–20 बीघा सरकारी भूमि का वर्षाजल उस डिग्गी में पहुंचकर उसे भरता है, तो वह सरकारी भूमि वस्तुतः उस डिग्गी का कैचमेंट क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी सरकारी भूमि पर खनन गतिविधियां प्रारम्भ हो जाती हैं, तो वर्षाजल के प्राकृतिक बहाव में परिवर्तन आ सकता है तथा किसान की डिग्गी भरना प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसान की कृषि, आजीविका एवं परिवार के पालन–पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री नरसिंह राम ने आगे कहा कि अनेक किसान आसपास की सरकारी भूमि की देखरेख करते हैं, वहां वृक्षारोपण करते हैं तथा उनके पशु भी उसी भूमि पर चरते हैं। उन्होंने कहा कि यदि उक्त भूमि पर खनन गतिविधियां संचालित की जाती हैं, तो किसानों एवं पशुपालकों के समक्ष आजीविका संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस प्रकार की परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं तथा इस कारण वे प्रस्तावित परियोजना का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की राय एवं चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

श्री अण्दाराम ने कहा कि जिस प्रकार भैरावास एवं ताडावास क्षेत्र में सरकारी भूमि स्थित है, उसी प्रकार उनके क्षेत्र में भी सरकारी भूमि है। उन्होंने कहा कि उक्त सरकारी भूमि उनके खेतों के लिए कैचमेंट क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकारी भूमि में भी लाइमस्टोन उपलब्ध है तथा वे स्वयं भी उसका खनन कर सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वर्षा का पानी उसी सरकारी भूमि से होकर खेतों तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि उसी पानी के आधार पर उनके क्षेत्र में जीरा, इसबगोल, सरसों, कपास तथा अन्य फसलें उत्पादित होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खेजड़ी के वृक्षों से प्राप्त कैर एवं सांगरी से क्षेत्र का प्रत्येक किसान प्रतिवर्ष लगभग ₹50,000 से ₹1,00,000 तक की आय अर्जित करता है। उन्होंने कहा कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में न तो क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों, कैर, सांगरी एवं खेजड़ी का समुचित उल्लेख किया गया है और न ही यह बताया गया है कि क्षेत्र में कितनी वनस्पति विद्यमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में क्षेत्र को अनुपजाऊ अथवा सीमित उपयोगिता वाला दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण न तो बंजर भूमि पर निर्भर हैं और न ही किसी से मांगकर जीवनयापन करते हैं, बल्कि अपनी कृषि

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

एवं प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जीवनयापन करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ग्रामीणों के अधिकारों एवं आजीविका के विषय में भी विचार करना चाहिए।

तत्पश्चात् **श्री रामपाल** ने कहा कि उनकी संस्था "मरुभूमि उत्थान संस्था" विगत लगभग चार–पांच वर्षों से क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर कैर एवं सांगरी तथा खेजड़ी के पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रजातियों के कैर एवं खेजड़ी के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से अनेक सफल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ खेजड़ी वृक्षों पर लगभग 60–60 किलोग्राम तक उच्च गुणवत्ता की सांगरी का उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इसके लिए अभी व्यापक बाजार विकसित नहीं हो पाया है, फिर भी स्थानीय स्तर पर इसका विक्रय किया जा रहा है तथा इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में कैर–सांगरी आधारित आजीविका एवं उत्पादन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि यह विषय विचारणीय है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके पास साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध हैं तथा वे उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।

इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि यदि उनके पास कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज हैं तो वे उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर श्री रामपाल ने कहा कि उनके पास आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा वे उन्हें प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई की सूचना अंतिम समय में प्राप्त होने के कारण वे सभी साक्ष्य एवं दस्तावेज तैयार नहीं कर पाए हैं। इसी कारण उन्होंने पुनः अनुरोध किया कि उन्हें 10 से 15 दिन का समय प्रदान किया जाए ताकि वे सभी साक्ष्य व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकें।

श्री रामपाल ने आगे कहा कि क्षेत्र में नागौरी नस्ल के बछड़ों एवं कृषि आधारित जल संरक्षण पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व सरपंच श्री नरसिंह राम द्वारा दिए गए उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों द्वारा डिग्गियों का निर्माण किया गया है तथा जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भूजल की गुणवत्ता, विशेषकर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा के संबंध में भी अध्ययन कर रहे हैं तथा जल संरक्षण एवं जल गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा वर्षाजल संग्रहण हेतु छोटे–छोटे जलाशय बनाए गए हैं और अगले कुछ वर्षों में क्षेत्र का परिदृश्य उल्लेखनीय रूप से बदल सकता है। यदि आगामी दो वर्षों के उपरान्त क्षेत्र का मानचित्र देखा जाए तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा कि किसानों द्वारा जल संरक्षण, वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से लगभग 100 छोटे जलाशयों का निर्माण किया गया है, किन्तु ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं जल संरचनाओं के आधार पर कृषि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में जल को उपयोगी बनाने एवं उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थानीय स्तर पर तकनीकी प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु इन गतिविधियों का भी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि गांव में एक बड़ा तालाब स्थित है, जिससे लगभग 10 गांवों के लोग पेयजल प्राप्त करते हैं तथा वे स्वयं भी उसी तालाब का पानी उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना क्षेत्र एवं

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

उक्त तालाब के मध्य दूरी लगभग 400 से 500 मीटर है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि क्षेत्र में प्रचलित पश्चिमी एवं दक्षिणी हवाओं के कारण खनन गतिविधियों से उत्पन्न धूल एवं अन्य प्रभाव तालाब तक पहुंच सकते हैं। क्षेत्र में वर्ष के लगभग 12 महीनों में से 11 महीनों तक हवाएं चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि यदि तालाब प्रभावित होता है तो क्षेत्र के लोगों के समक्ष पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण उस जलाशय पर अत्यधिक निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस विषय का समुचित समाधान अथवा विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र के किसानों द्वारा वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक किसान श्री रेवंत राम द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व चंदन के पौधे लगाए गए थे, जिनमें से लगभग 30–40 पौधे सफलतापूर्वक विकसित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों का भी ई.आई.ए. रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इस पर **श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय** ने कहा कि 26 अप्रैल 2026 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रस्तावित जनसुनवाई एवं उससे प्रभावित होने वाले ग्रामों के संबंध में सूचना प्रकाशित करवाई गई थी।

इस पर **श्री रामपाल** ने कहा कि उन्हें इस बात पर आपत्ति नहीं है कि जनसुनवाई की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, बल्कि उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि परियोजना से संबंधित मार्गदर्शिका, ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जनसुनवाई से पूर्व ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने कहा कि यदि उक्त दस्तावेज पूर्व में उपलब्ध होते तो ग्रामीण जनसुनवाई में अधिक प्रभावी एवं तथ्यात्मक भागीदारी कर सकते थे।

इस पर **श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय** ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा यह मांग की गई है कि भविष्य में जनसुनवाई से पूर्व परियोजना संबंधी संक्षिप्त मार्गदर्शिका अथवा आवश्यक जानकारी स्थानीय लोगों तक पहुंचाई जाए तथा उक्त सुझाव को कार्यवाही में अभिलिखित किया जाएगा। इस पर श्री रामपाल ने कहा कि केवल समाचार पत्र में एक छोटे से प्रकाशन को पर्याप्त सूचना नहीं माना जा सकता, क्योंकि समाचार पत्र सभी लोगों तक नहीं पहुंचता।

श्री मनोहर, ग्राम जोरावरपुरा ने कहा कि ग्रामवासियों को यह जानकारी ही नहीं है कि प्रस्तावित खनन पट्टे में कौन–कौन से खसरा नंबर सम्मिलित हैं तथा कौन–कौन से खसरा नंबर इसके बाहर हैं।

इस पर **श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय** ने कहा कि इसी उद्देश्य से जनसुनवाई स्थल पर खसरा नंबरों सहित परियोजना का नक्शा प्रदर्शित किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि उसका खेत प्रस्तावित खनन ब्लॉक के भीतर है अथवा बाहर।

श्री मनोहर ने कहा कि प्रत्येक किसान के लिए केवल नक्शा देखकर यह समझ पाना संभव नहीं है कि उसका खेत किस खसरे में आता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को घर–घर सूचना दी जानी चाहिए थी। उन्होने यह भी कहा कि आज भी अनेक लोगों को यह जानकारी नहीं है कि यहां जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

महोदय ने कहा कि श्री मनोहर द्वारा व्यक्त उक्त सुझाव एवं आपत्ति को जनसुनवाई की कार्यवाही विवरण में अभिलिखित किया जाएगा।

तत्पश्चात् श्री रामपाल ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के संबंध में भी उनकी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि लगभग दो वर्ष पूर्व संबंधित क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में एक प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसे सक्षम अधिकारियों के पास भेजा जाना था। उन्होंने कहा कि उस प्रकरण की वर्तमान स्थिति अलग विषय है, किन्तु वह लंबित है। इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि उक्त विषय राजस्व विभाग से संबंधित है तथा वर्तमान जनसुनवाई से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इस पर श्री रामपाल ने कहा कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस विषय का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में पटवारी द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि संबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार का नामांतरण, आवंटन प्रकरण लंबित नहीं है, जबकि उनके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग प्रस्तुत की गई है तथा उसका प्रकरण जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खींवसर स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे गए हैं और प्रकरण अभी विचाराधीन है। इस पर श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि वर्तमान में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है तथा इस कारण जनगणना से पूर्व सीमाओं से संबंधित विषयों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा राजस्व ग्राम बनाए जाने के संबंध में जो मांग रखी गई है, उसे भी सक्षम स्तर पर विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

इस दौरान **एक ग्रामीण** द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन गतिविधियों से प्रदूषण फैलेगा, क्षेत्र में रहना कठिन हो जाएगा तथा पेयजल की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है।

तत्पश्चात् श्री अण्दाराम ने कहा कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थानों पर विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार बड़े क्षेत्र में भूमि खनन गतिविधियों के अंतर्गत आ जाएगी तो ग्रामीणों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की कृषि भूमि प्रभावित होने पर वे गांवों में रहकर किस प्रकार जीवनयापन करेंगे।

तत्पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया कि उन्हें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें परियोजना के संबंध में विभिन्न आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने ज्ञापन में उल्लिखित प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में कार्यरत संस्था द्वारा खेजड़ी, कैर, सांगरी आदि के पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही नागौरी नस्ल के बैलों के सुधार तथा जल संरक्षण संबंधी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्था द्वारा जल संग्रहण, वृक्षारोपण तथा उन्नत तकनीकों के माध्यम से क्षेत्र के विकास हेतु कार्य किया जा रहा है तथा यह मांग की गई है कि प्रस्तावित खनन गतिविधियों से इन प्रयासों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया, जिनमें श्री अण्दाराम, श्री जयपाल डूकिया, श्री दिनेश, श्री संपतराज, श्री जगदीश, श्री महेन्द्र रलिया, श्री भानुप्रकाश, श्री सुशील, श्री सरवन, श्री सुभाष,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

श्री राजूराम डूकिया, श्री सुरेन्द्र, श्री प्रहलाद, श्री रामचन्द्र जाजड़ा, श्री नरसिंह राम, श्री भीयाराम सहित अन्य व्यक्तियों के नाम सम्मिलित थे।

तत्पश्चात् कुछ ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से कहा गया कि उनकी मांग है कि वर्तमान जनसुनवाई की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाए तथा भविष्य में नई तिथि निर्धारित कर पुनः जनसुनवाई आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान जनसुनवाई के लिए उनकी पर्याप्त तैयारी नहीं थी तथा किसी भी सुनवाई में दोनों पक्षों को पर्याप्त सूचना एवं तैयारी का अवसर मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने आगे कहा कि यदि भविष्य में पुनः जनसुनवाई आयोजित की जाए तो पर्याप्त समय पूर्व सूचना प्रदान की जाए, जिससे ग्रामीण परियोजना से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन कर सकें, आपस में चर्चा कर सकें तथा व्यवस्थित रूप से अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकें।

श्री धर्माराम जाजड़ा, ग्राम जोरावरपुरा ने कहा कि जनसुनवाई की प्रक्रिया अत्यंत कम समय में आयोजित की गई प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि यदि एक माह पूर्व जनसुनवाई की तिथि निर्धारित कर ग्रामीणों को पर्याप्त समय दिया जाता, तो ग्रामवासी भी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होकर अपनी बात विस्तार से रख सकते थे। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया में ग्रामीणों तथा परियोजना पक्ष, दोनों को अपनी-अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए।

तत्पश्चात् श्री अण्दाराम ने कहा कि क्षेत्र के अनेक किसानों की भूमि प्रस्तावित खनन ब्लॉक से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार द्वारा छोटे-छोटे खनन ब्लॉक बनाए गए थे, किन्तु जब उन ब्लॉकों की नीलामी में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई गई तो उन्हें मिलाकर बड़ा खनन ब्लॉक बना दिया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण अनेक किसानों के खसरे विभिन्न खनन ब्लॉकों में विभाजित हो गए हैं। उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान की 15 बीघा भूमि है और उसका खसरा तीन अलग-अलग खनन क्षेत्रों में सम्मिलित हो जाता है, तो उस किसान को एक के स्थान पर तीन अलग-अलग खनन इकाइयों से संबंधित समस्याओं एवं विवादों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था उनके अनुसार अन्यायपूर्ण है तथा इससे किसानों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

तत्पश्चात् श्री रामपाल ने कहा कि स्थानीय निवासी होने के कारण प्रस्तावित परियोजना से उनका हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जनसुनवाई में उपस्थित लोग परियोजना से संतुष्ट हैं। जनसुनवाई में कुछ ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जो स्थानीय निवासी नहीं हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से पूछा कि क्या वे उन व्यक्तियों को स्थानीय निवासी के रूप में जानते हैं। इस पर अनेक ग्रामीणों द्वारा उत्तर दिया गया कि वे उन व्यक्तियों को नहीं जानते। उनके अनुसार ऐसे व्यक्तियों को केवल उपस्थिति बढ़ाने अथवा औपचारिकता पूर्ण करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के हित सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि ऐसे व्यक्तियों का हित परियोजना से प्रभावित नहीं होता। उनके अनुसार जनसुनवाई में उपस्थित

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

कुछ बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति को भी कार्यवाही में दर्ज किया जाना चाहिए तथा उन्होंने इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

तत्पश्चात् श्री अन्दाराम ने कहा कि उनके अनुसार उपस्थित कुछ व्यक्ति भैरावास, डेरू, खोड़वा अथवा प्रभावित ग्राम पंचायतों के निवासी नहीं हैं तथा उन्हें कंपनी द्वारा लाया गया है। उन्होंने इस संबंध में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

इस दौरान **कुछ ग्रामीणों** द्वारा कहा गया कि बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति उचित नहीं है। ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया कि भूमि प्रभावित होने वाली उनकी है तथा परियोजना से होने वाले प्रभावों का सामना भी उन्हें ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी भूमि प्रभावित हो रही है, जबकि अन्य व्यक्तियों का भूमि से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि वे अपना अधिकार मांग रहे हैं तथा किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तत्पश्चात् उपस्थित ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तावित परियोजना का विरोध व्यक्त किया गया तथा किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए।

इसके उपरान्त **श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** महोदय ने कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता हो तो वह अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है .

इस पर **क्षेत्रीय अधिकारी** ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सुझाव, आपत्तियां एवं जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि भविष्य में ग्रामीणों को व्यक्तिगत स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर अधिक व्यापक सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत सभी सुझावों, आपत्तियों एवं ज्ञापनों को अभिलेखित कर लिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त जनसमूह से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई से पूर्व, जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों व उपस्थित जन-समुह द्वारा लिखित में प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति **परिशिष्ट "स"** पर सलंग्न है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री चंपालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

उपस्थिति पंजिका

लाईम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

लाईम स्टोन खनन परियोजना **मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड**, ब्लॉक नं. TKB-11, प्रस्तावित क्षेत्र–112.8886 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 598500 टीपीए (आर.ओ.एम.) निकट गांव– जोरावरपूरा एंव हरिपूरा, तहसील– खिंवसर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील– खिंवसर, जिला नागौर

दिनाँकः 03.06.2026, समयः सांय 04:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	Champalal Greenaga	ADM Nagaur	[signature]
2	Sunil pawar	SDM Khinwsar	[signature]
3	RajKumar Meena	R.O. RSPCB, Nagaur	[signature]
4	SURESH	TAR Collegiate	[signature]
5	Hemant Kumar	AEE, RSPCB RO Nagaur	[signature]
6	Rajveer Bhakar	J.A.	[signature]
7	PREMLATA	पटवारी जोरावरपुरा	Premlata
8	Pukhraj Sharma	पटवारी लाडाबास	[signature]
9.	Chuna Ram	ILR लालावास	ChunaRam
10	Suryakant Maru	VDO Berawas	S.Kant
11	Rajesh Kumar Vishwas	PGM Solution A1506, NOIDA, UP	Rajesh
12.	SARTHAK TIWARI	J.S.O., RSPCB, Nagaur	Sarthak

उपस्थिति पंजिका

लाईम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

लाईम स्टोन खनन परियोजना मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं. TKB-11, प्रस्तावित क्षेत्र–112.8886 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 598500 टीपीए (आर.ओ.एम.) निकट गांव– जोरावरपूरा एंव हरिपूरा, तहसील– खिंवसर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील– खिंवसर, जिला नागौर

दिनाँकः 03.06.2026, समयः सांय 04:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	प्रितम सिंह	जोरावपुरा	प्रितम सिंह
2	[illegible]	नागौर	[illegible]
3	लेखराज	हरिपुरा	लेखराज
4	दिलकुश मीना	नागौर	दिलकुश मीना
5	खेराज चौधरी	जोरावरपुरा	[illegible]
6	मोन्दू गुर्जर	नागौर	मोन्दू गुर्जर

उपस्थिति पंजिका

लाईम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

लाईम स्टोन खनन परियोजना **मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड,** ब्लॉक नं. TKB-II, प्रस्तावित क्षेत्र–112.8886 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 598500 टीपीए (आर.ओ.एम.) निकट गांव– जोरावरपूरा एंव हरिपूरा, तहसील– खिंवसर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील– खिंवसर, जिला नागौर

दिनाँकः 03.06.2026, समयः सांय 04:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
7.	धारासिंह	जोरावरपुरा	[illegible]
8.	ओमप्रकाश डुकिया	जोरावरपुरा	ओमप्रकाश डुकिया
9.	जगदीश सेन	मे.ड.	जगदीश

उपस्थिति पंजिका

लाईम स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

लाईम स्टोन खनन परियोजना **मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड**, ब्लॉक नं. TKB-11, प्रस्तावित क्षेत्र–112.8886 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 598500 टीपीए (आर.ओ.एम.) निकट गांव– जोरावरपूरा एंव हरिपूरा, तहसील– खिंवसर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील– खिंवसर, जिला नागौर

दिनाँकः 03.06.2026, समयः सांय 04:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
10.	दिनेश	कुडकू	[signature]
11	अरबाज	खुड़ी खुर्द	ARBAZ
12.	अर्जुन सिंह	मानसिंह	अर्जुन
13.	राजू	जोरावरपुरा	राजू
	~~[illegible]~~	[signature]	

KO RPCB 03/1/25

मरुभूमि पर्यावरण उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, खींवसर

"एक सबके लिए और सब एक के लिए"

Mo. 9414591262, 9610252547 rampaldholiya21@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय ख.नं. 1718/1707,NH 62 ग्राम लालावास तहसील खींवसर जिला नागौर राजस्थान 341025

श्री अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब
नागौर

विषय:- ब्लॉक ने TRB-11 लीज द्वारा पर्यावरणीय आपत्ति के विरोध में आम-जनता द्वारा आपत्ति दर्ज करने बाबत।

महोदय, निवेदन है कि हमारे क्षेत्र जोरावरपुरा-खोड़वा में हमारी संस्था पर्यावरण के साथ आस-पास के इलाकों में हमारी संस्था रही है जिसमें तथा भूमि सुधार में लगातार कार्य कर रही है जिसमें खेजड़ी, केर, सांगरी, इत्यादि प्रकार में उत्थान तथा प्रोटेक्शन को बढ़ाने हेतु कार्य कर रहे। नागौरी नस्ल के बैलों के सुधार हेतु लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नई तकनीक की खेती सुधार में कार्य किया जा रहा है। परिणामस्वरूप कई किसानों वर्षा का पानी इकट्ठा कर छोटे-बड़े जलाशय बनाया गया है जिसके पेड़-पौधों से लेकर नवीनतम तकनीकी की खेती की जा रही है। खेती के प्रति उत्साहित हैं जिससे किसान तकनीक

अण्दाराम नरसिंह रलिया Rampal

संस्थापक अध्यक्ष सचिव/भू रिसर्च कोषाध्यक्ष/ड्रिंकिंग वॉटर एक्सपर्ट

अण्दाराम रलिया नरसिंह रलिया रामपाल धौलिया रेवंत रलिया

अतः आपसे निवेदन है कि हम ग्रामीणों तथा स्वच्छ हवा पर्यावरण उत्थान तथा पशु-पक्षियों के लिए लिए जा रहे कार्य को आगे किस प्रकार पलायन जायेगा तथा mining करने से हमारे आम जन का पूर्णतः हित प्रभावित होगा।

[illegible] बलिया

रामचन्द्र गांगड़ा

जयपाल डूकिया

[illegible]

नरसिंह राम

[illegible]

मीयाराम

दिनेश

[illegible]

गोपाल [illegible]

जगदीश

रामनारायण

महेन्द्र बलिया

[illegible]

भानुप्रकाश

मारमल

सुनिल

हरेन्द्र

श्रवण

राजेन्द्र

सुभाष

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kailash

[illegible]

मुकेश

रामूराम डूकिया

मुकेश

कैलाश

[illegible]

Ramprasad

प्रहलाद

रामनरेश

जोगाराम

जीतेन्द्र

हर-समाज

क संघ के तत्वावधान में आयोजन आज सुबह 8 बजे से

सीनियर पुरुष और महिला प्रतियोगिता में होंगे मुकाबले

समर कैंप मैच में बुल्स रेड की सात विकेट से जीत

सोहेल खान

नागौर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के समर कैंप में नागौर बुल्स रेड ने अंडर-19 दो दिवसीय मुकाबले में बुल्स ब्लू को सात विकेट से हराया। जीत की नींव नागौर बुल्स रेड के बल्लेबाज सोहेल खान के शानदार शतक ने रखी, जिससे टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच पर मजबूत पकड़ बनाई। जिला क्रिकेट संघ के सचिव राजेंद्र सिंह

...क भवानी शंकर शर्मा, खुशालीराम टाक, उमेश ...ी आदि ने सेवाएं दी।

कार्यक्रम में बताया गया कि जब क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बने और कई पर्यटक दुबई में फंस गए, तब

मुनि ने कहा कि आज के समय में सच्ची मानवता वही है, जो बिना स्वार्थ दूसरों के लिए खड़ी हो।

बड़ी उपलब्धि है और वे आगे भी समाज व जरूरतमंदों की सेवा करते रहेंगे।

सौहार्द: मुस्लिम भाइयों ने हिंदू बहन के भरा मायरा

शेरानी आबाद. खुनखुना गांव से एक ऐसी प्रेरणादायक और सकारात्मक खबर सामने आई है, जिसने आज के दौर में समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। गांव में मुस्लिम समाज के परिवारों ने हिंदू परिवार के सुख-दुख में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाते हुए यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली पहचान धर्म नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनापन होता है। गांव के युसुफ खान, इकबाल खान और अजमेर विद्युत विभाग से जुड़े भंवरू खान गरदेजी ने हिन्दू बहन बाई राधा देवी एवं चुन्नीलाल लुहार के घर 35,000 रुपये का मायरा (भात) भरकर अपनी संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। इतना ही नहीं, जमाल खान, रहमान खान गरदेजी, इमरान खान, मुराद खान और मोईदीन खान ने भी 5,100 रुपये का मायरा भेंट

[illegible] दिनांक 25.05.2026 को [illegible] 23.04.2026 को जारी किया गया।

आदेशानुसार [illegible]

अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर (राज.)

की राउमावि में जीव दया अभियान आयोजित

...या पक्षी सेवा का संकल्प

...की सेवा का संकल्प लेते विद्यार्थी।

...न्य जीवों को पानी ...ी भारी कमी का ...ड़ता है, ऐसे में यह ...त उनके जीवन के ...त्वपूर्ण साबित हो ... दया अभियान के ...डर ट्रेनर स्काउट जगदीश लाल गुर्जर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवों की सेवा करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने घरों, छतों और आसपास के क्षेत्रों में परिंडे लगाकर नियमित रूप से पानी भरें तथा चुगा पात्र में दाना डालें, ताकि पक्षियों को राहत मिल सके।

कार्यक्रम के दौरान सभी विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे नियमित रूप से पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। इस अवसर पर रामकुमार मेघवाल, बलदेव राम, सौरभ रॉयल, जगदीश चोयल, बलराम सिंधु, अजय कुमार मीणा, मुन्नाराम कमेड़िया, मुकेश जमेरिया, अशोक कुमार शर्मा, प्रवीण कालवा, खींयाराम, खींवसिंह, दिनेश चंद बैरवा, सुगनाराम, प्रेमसुखा नायक एवं नरसिंह राम सहित विद्यालय स्टाफ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line,
Dist. Nagaur 341001 • email : rorcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "लाइम स्टोन खनन परियोजना मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉक्स्टोन प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं. TKB-11, प्रस्तावित क्षेत्र 112.8886 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-598500 टीपीए (आर.ओ.एम.), निकट गांव जोरावरपुरा एवं ...पुरा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइम स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉक्स्टोन प्राईवेट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. उपवन संरक्षक, नागौर।
   6. खनिज अभियंता, नागौर।
   7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खिंवसर।
   11. तहसीलदार, खिंवसर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति खिंवसर।
   13. ग्राम पंचायत, छोड़वा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को सायं 04:00 P.M. बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

Public Notice For E-Au

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL) C
122015. (Haryana) and **Branch Office at:- IIFL Home Finance Ltd,3rd floor, Tim
305001/ Plot No. 93-94, First Floor, Jai Complex, Road No. 2, Alwar - 301001**
and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Au
the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the f
on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE
by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.iifone

Borrower(s) / Co-Borrower(s) /Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovab property/ Secured Asset
Mr. Ramesh Ashok Balotiya Mrs. Koyali (Prospect No-928012)	16/04/2024 Rs. 1282707/- (Rupees Twelve Lakh Eighty Two Thousand Seven Hundred and Seven Only)	All that part and parcel of the prope ing: Flat No. LIG B-II-10, (B-210) 2, Block B, Unique Awas, Khasra 639, 657, 659, 660, 719, 720, Ha Ajmer, Rajasthan, India, 3050 Admeasuring (IN SQ. FT): Proper Saleable_Area, Carpet_Area Prope 669.00, 417.00
	Bid Increase Amount Rs.25000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	
Mr. Sonu Mr Mahender Singh Mrs. Rani Mahender Singh (Prospect No-IL10165708)	04/12/2025 Rs.1195188/- (Rupees Eleven Lakh Ninety Five Thousand One Hundred and Eighty Eight Only)	All that part and parcel of the prope ing: T12-207, Floor No. 2, Upvan Tu II, Upvan The Garden City, Behror, A 301701 Area Admeasuring (IN S Property Type: Saleable_Area, Car Property Area: 677.00, 495
	Bid Increase Amount Rs.25000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	

Date of Inspection of property	EMD Last
29/05/2026 1100 hrs -1400 hrs.	01/06/2026 ti

Mode of Payment :- EMD payments are to be made vide online mode only. To make payme
link available for the property/ Secured Asset only. **Note:** Payment link for each property/
Secured Asset you intend to buy vide public auction. **For Balance Payment** - Login http

TERMS AND CONDITIO

1. For participating in e-auction, intending bidders required to register their details
advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidd
ment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned
2. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the col
utes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extend
3. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within
of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured cred
4. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other stat
and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relati
5. The purchaser has to pay TDS application to the transaction/payment of sale amou
6. **Bidders are advised to go through the website https: // www.iiflonehome.com and**
terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting
7. **For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidd**
home.com, Support Helpline no.1800 2672 499.
8. For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc
hrs between Monday to Friday or write to email:- care@iiflonehome.com.
9. Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, w
possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss
10. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect
11. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purcha
the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be ag
12. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tende
pate in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with
Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if an

Place:- Rajasthan, Date: 25/04/2026

BAJAJ HOUSING FI

HOUSING FINANCE BAJAJ

Corporate office: Cerebrum IT Park B2 Building 5t
Branch Address.: 1st Floor, Above Baroda Gramin Ba
Branch Address.: 2Nd Floor, Mohini Plaza, Inside
Branch Address.: 1St Floor, Baba Shyam Sing Complex, Near Na

Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitizatio
Assets and Enforcement of Security

Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Housing Finan
Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e
interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s)
Finance Limited, and as a consequence the loan(s) have become Non P
them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financia
and rules there-to, on their last known addresses, however the same ha
Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this
the loan facilities availed by them from time to time.

Loan Account No./Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) & Addresses	Address of Immovable As
Branch : JHALAWAR **LAN:- H4D2HLT1190763 & H4D2HLD1180580** **1. DARBAR KHAN (Borrower)** At: Gadiya Mahesh, Jhalawar, Aklera, Aklera, Rajasthan - 326033 **2. TASMIYA TASMIYA (Co-Borrower)** At: Gadiya Mahesh, Aklera, Ardi Khera, Jhalawar, Aklera, Rajasthan-326033	All that piece an Property descr No.70014 Situated Gram Panchayat Teh. Aklera Dist Jh of Rafeek Khan, W of Kanha Bairwa, S
Branch : JHALAWAR LAN:- H4D2RLP0724824 **1. Mohammad Vasim Choupan (Borrower)** At: Dhobi Gali, Naya Pura, Pirawa, Rajasthan-326034 **2. Usman Gani (Co-Borrower)** At: Pipli Chowk, Press Tak, Pirawa, Pirawa, Rajasthan-326034 **3. Shama Parveen (Co-Borrower)** At: Dhbiyon Ki Gali, Dhbiyon Ki Gali, Pirawa, Pirawa, Rajasthan-326034	All tha agricult at Khs Naya Jhalaw Road, W :-House
Branch : BEAWAR **LAN:- H6C4HLT0993635 & H6C4HLD0979463** **1. Rajendra Rajendra (Borrower)** **At:** Kumharo Ka Bas Jubtha, Pali, Rajasthan-306304 **Also At:** Patta No. – 006415, Village – Jhutha, Tehsil – Raipur, Distt. - Pali (raj.) 302021 **2. Rekha Devi (Co-Borrower)** At: Kumaro Ke Bas Jhoontha, Kumaro Ka Bas, Pali, Rajasthan-306304	All that piece Property des Village – Jhu (Raj.) 30202 West:- Padat :-House of Meghwal, S Shankar Lal Sq. Ft. i.e 150
Branch : HANUMANGARH LAN:- H4K0RLP1348933 **1. Sandeep Chaliya (Borrower)**	All that pie agricultural

---

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line,
Dist. Nagaur 341001 • email : rorpcb.nagaur@gmail.com

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "लाईम स्टोन खनन परियोजना मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रीयलटीच प्राईवेट लिमिटेड, खनिज पट्टा नं. TKB-11, प्रस्तावित क्षेत्र 112.6886 हैक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-599500 टीपीए (आर.ओ.एम.), निकट ग्राम जोरावरपुरा एवं हरिपुरा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर (राज.) में स्थित है, में लाईम स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रीयलटीच प्राईवेट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित स्थानों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. उपवन संरक्षक, नागौर।
   6. खनिज अभियंता, नागौर।
   7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
   8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खिंवसर।
   11. तहसीलदार, खिंवसर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति खिंवसर।
   13. ग्राम पंचायत, खोड़वा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 03.06.2026 को सायं 04:00 P.M. बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोरावरपुरा, तहसील खिंवसर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम तल, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

POSSESSION NOTICE

Registered Office: Radhika,2nd Floor, Law Garden Road, Nevrangpura, Ahemdabad, Gujrat, Pin Code: 380009 **BRANCH OFFICE:** E-145, Second Floor, Ramesh Marg. Opp sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan - 302001

Whereas, The Authorised Officer Of Hdb Financial Services Limited Under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assests And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (64 Of 2002) And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rules 3 Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 Issued Demand Notice To The Borrower/s As Detailed Hereunder, Calling Upon The Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Said Notice With All Costs, Charges And Expenses Till Actual Date Of Payment Within 60 Days From The Date Of Receipt Of The Same. The Said Borrower/co-borrower Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To Borrower/co-borrower And The Public In General That The Undersigned In Exercise Of Powers Conferred On It Under Section 13(4) Of The Said Act R/w Rule 8 Of The Said Rules Has Taken Symbolic Possession Of The Property Described Hereunder On The Date Mentioned Alongwith. The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings With The Property Will Be Subject To The Charge Of HDB Financial Services Limited For The Amount Specified Herein With Future Interest, Costs And Charges From The Respective Date. Details Of Borrower/ Co-borrower/guarantors, Loan Account Number, Loan Amount, details Of Security, Date Of Demand Notice, Claimed Amount; Date Of Possession Are Given Herein Below

1) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR; 2) LOAN ACCOUNT NUMBER; 3) LOAN AMOUNT; 4) DATE OF DEMAND NOTICE; 5) CLAIMED AMOUNT IN(INR; 6) DETAILS OF SECURITIES; 7) DATE OF POSSESSION

NAME OF THE BORROWER & CO-Borrowers : 1. Vishal Purohit, Nilkanth Road Nainawati Mandir Ke Pass, Ward No. 04, Pur, Bhilwara- 311001 Rajsthan. Also is At:- Patta No. 3156, Aaraji No. 5816 Nilkanth Road, Pur, Dist. Bhilwara- 311001 Rajasthan. 2. Khusebu Sharma, Nilkanth Road Nainawati Mandir Ke Pass, Ward No. 04, Pur, Bhilwara- 311001 Rajsthan **LOAN ACCOUNT NO. 42504774. LOAN AMOUNT:** 40,00000/- (In words Forty Lakhs Only), by the loan account number 42504774. **DEMAND NOTICE DATE :** 17-07-2025, **AMOUNT CLAIMED:** Rs. 40,25,574/-(in words Rupees Forty Lakhs Twenty Five Thousand Five Hundred & Seventy Four Only) as on 11.07.2025,and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.. **Description of immovable Property:-** All That Piece and Parcel of Patta No.3156, Aaraji No. 5816, Neelkanth Road, Pur, District Bhilwara, Rajasthan, Admeasuring Area 2477.46 Sq. Ft., Property Bounded as- North- Road, South- Open Land, East- Kailash Paldiya, West- Navram Paldiya.
DATE OF PHYSICAL POSSESSION - 20-04-2026

THE BORROWERS' ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB-SECTION (8) OF SECTION 13 OF THE ACT, IN RESPECT OF TIME AVAILABLE TO REDEEM THE SECURED ASSET.

For any query, please contact Mr. Vikas Anand: 9711010384, HDB Financial Services Limited, E-145, Ramesh Marg, Opp Sardar Patel Marg, C-Scheme, Jaipur Rajasthan 302001

Place: RAJASTHAN,
Date: 25.04.2026

Sd/- For HDB Financial Services Limited,
Authorised Officer

FORM – II

PI GREEN CONSULTING PRIVATE LIMITED

Shop no. 1, Sector No. 54, Radhakrishna Colony, Navanagar Bagalkot, Karnataka, India – 587103

Notice under sub-section (2) of Section 15 of Electricity Act, 2003

1. The PI Green Consulting Private Limited ("PIGCPL/ Applicant"), a company/ applicant abovenamed, is a private limited company incorporated on 24.12.1983 under Companies Act, 1956, has made an application under sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for grant of Category- V license for inter State trading in electricity in all regions across India before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. The necessary details in respect of the applicant are given hereunder:

i) Authorized issued, subscribed and paid-up capital

a)	Authorised share capital
	Rs. 10,00,000/-
b)	Issued share capital
	Rs. 100,000/-
c)	Subscribed share capital
	Rs. 100,000/-
d)	Paid-up share capital
	Rs. 100,000/-

ii) Shareholding pattern (indicate the details of the shareholders holding 5% of more shares